

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(1)वित्त/आब/2024

दिनांक: 01 फरवरी, 2024

आज्ञा

आबकारी एवं मद्य-संयम नीति वर्ष 2024-2025

भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची संख्या 2 की प्रविष्टि संख्या 8 एवं 51 में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 47 में दिए गए निदेशक तत्वों के दृष्टिगत मादक पदार्थों विशेषतः मदिरा के निर्माण, परिवहन, आयात, निर्यात, बिक्री एवं कब्जे में रखे जाने संबंधी गतिविधियों को विनियमित एवं नियंत्रित करते हुए प्रदेश के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से आबकारी एवं मद्य संयम नीति जारी की जाती है। साथ ही, नीति का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण मदिरा उपलब्ध करवाना तथा आमजन में शराब के दुष्प्रभावों को प्रचारित करना एवं मदिरा उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करना है ताकि मदिरा के उपयोग को हतोत्साहित करते हुए हथकड़ व अवैध मदिरा के स्थान पर जिम्मेदार नागरिक के रूप में मदिरा का संयमित उपभोग करें। इसके अतिरिक्त राजस्व के ह्रास को इस नीति में निहित प्रावधानों एवं निरोधात्मक गतिविधियों द्वारा रोकना भी नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आबकारी एवं मद्य संयम नीति के निर्धारण में निम्नांकित बिन्दुओं पर भी समुचित विचार किया गया है:-

- (i) आबकारी एवं मद्य संयम नीति के प्रमुख बिन्दुओं में से मदिरा की खुदरा दुकानों का सफल बंदोबस्त एवं संचालन एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। वर्तमान में मदिरा दुकानों का आवंटन पूर्ण पारदर्शिता व प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर ऑनलाईन नीलामी के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है। इससे राज्य के आबकारी राजस्व में गत वर्षों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसी पारदर्शी प्रक्रिया को निरंतर रखने का निर्णय लिया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व मदिरा दुकानों का बंदोबस्त पूर्ण किये जाने के दृष्टिगत दुकानों के अनुज्ञाधारियों को पफॉरमेंस बेस पर उनके लाईसेंस के नवीनीकरण का विकल्प दिये जाने तथा वर्तमान में संचालित दुकानों की लोकेशन स्वतः स्वीकृति की व्यवस्था किये जाने का भी निर्णय लिया गया है इससे इस व्यवसाय से जुड़े उद्यमियों को व्यवसाय की निरंतरता का लाभ मिल सकेगा तथा राज्य को भी समय पर दुकानों का बंदोबस्त होने से राजस्व प्राप्ति में लाभ होगा।
- (ii) मदिरा की खुदरा दुकानों के बंदोबस्त को ओर सुगम बनाने तथा राजस्व वृद्धि हेतु वर्तमान व्यवस्था में कतिपय सुधार करने की आवश्यकता महसूस की गई है जो मुख्यतः निम्नानुसार हैं:-



- a) वर्तमान में दुकानों की वार्षिक गारंटी राशि से अधिक मदिरा के उठाव पर उसे आगामी वर्ष की वार्षिक गारंटी राशि या न्यूनतम रिजर्व प्राईस में जोड़ा जाता रहा है। इस कारण लाईसेंसधारी गारंटी राशि से अधिक मदिरा उठाव के इच्छुक नहीं रहते जिसका विपरीत प्रभाव राज्य के राजस्व पर पड़ने की संभावना रहती है। दूसरी ओर, इससे दुकानों की गारंटी राशि में वृद्धि होने के कारण उनके बंदोबस्त में भी कठिनाई आती है। मदिरा का उठाव कई परिस्थितियों पर निर्भर करता है। किन्हीं बाहरी परिस्थितियों के कारण किसी दुकान के लिये अतिरिक्त मांग उत्पन्न हो सकती है लेकिन लाईसेंसधारी को यह आशंका रहती है कि आगामी वर्ष में परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर यह अतिरिक्त मांग स्थाई नहीं रहेगी। इस कारण वह आकस्मिक मांग की पूर्ति हेतु भी अतिरिक्त मदिरा का उठाव करने का इच्छुक नहीं रहता। इस समस्या के निवारण हेतु इस नीति में वर्तमान गारंटी राशि को ही आगामी वर्ष की वार्षिक गारंटी राशि या न्यूनतम रिजर्व प्राईस के निर्धारण का आधार मानने का निर्णय लिया गया है।
- b) मदिरा की आपूर्ति में विभिन्न प्रकार की मदिरा की न्यूनतम मात्रा के उठाव का प्रावधान वर्तमान में है। इन प्रावधानों के कारण मदिरा दुकानों के अनुज्ञाधारियों को अपनी गारंटी राशि की मदिरा के उठाव में कठिनाई आती है तथा गणना किया जाना भी काफी कठिन हो जाता है। इस समस्या के निवारण तथा अनुज्ञाधारियों की मांग व दुकानों के सफल बंदोबस्त को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की मदिरा की न्यूनतम मात्रा के उठाव की अनिवार्यता के स्थान पर अनुज्ञाधारियों को विकल्प देने का निर्णय इस नीति में लिया गया है।
- c) मदिरा दुकानों के सफल संचालन पर नियंत्रण रखने में वर्तमान त्रैमासिक गारंटी की व्यवस्था तथा कम धरोहर राशि के कारण कठिनाई आती है। साथ ही, त्रैमासिक गारंटी पूर्ति नहीं कर पाने पर अनुज्ञाधारियों द्वारा बार-बार बकाया राशि पेटे मदिरा के उठाव हेतु अतिरिक्त समय दिये जाने की मांग की जाती रही है। इस समस्या के निवारण हेतु दुकानों के लिये मासिक गारंटी की व्यवस्था तथा धरोहर राशि में वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, किसी माह में अधिक मदिरा उठाव पर उसका समायोजन आगामी माहों की गारंटी पूर्ति पेटे दिये जाने का निर्णय भी लाईसेंसधारियों की सुविधा के लिये लिया गया है।
- (iii) मदिरा उद्योग के व्यवसाय को प्रतिस्पर्धात्मक बनाये जाने हेतु इस व्यवसाय से जुड़े अनुज्ञाधारियों को उनके द्वारा किये गये पूँजी निवेश पर यथोचित लाभ प्रदान करने तथा उपभोक्ताओं को उनकी पसंद के अनुसार मदिरा आपूर्ति प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत एक ओर जहाँ निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं के लिये ईडीपी/ईबीपी में समुचित वृद्धि करने

का अवसर प्रदान करना आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर अवैध मदिरा के प्रवाह को रोकने के लिये मूल्यों को नियंत्रित रखना भी आवश्यक है। अनाज के मूल्यों में हुई वृद्धि तथा केन्द्र सरकार के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के कारण मदिरा/बीयर निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हुई है। इस प्रकार उत्पादन लागत में वृद्धि के आधार पर मदिरा/बीयर निर्माताओं द्वारा ईडीपी/ईबीपी में वृद्धि किये जाने की मांग व उपभोक्ताओं को मांग अनुसार उचित मूल्य पर मदिरा/बीयर आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सभी आपूर्तिकर्ताओं को समुचित मूल्य वृद्धि दिये जाने तथा विक्रय मूल्य को भी नियंत्रित रखने का निर्णय लिया गया है।

- (iv) राज्य में देशी मदिरा की आपूर्ति राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (RSGSM), निजी डिस्टिलर्स तथा बोटलिंग प्लांट्स द्वारा की जाती है। देशी मदिरा की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा सभी आपूर्तिकर्ताओं को उनके उत्पाद के विक्रय का अवसर प्रदान करने के दृष्टिगत वर्तमान में आर.एस.जी.एस.एम., निजी डिस्टिलर्स एवं बोटलर्स का देशी मदिरा की आपूर्ति में न्यूनतम मात्रा का कोटा निर्धारित किया गया है। इस कोटा निर्धारण के कारण मदिरा के खुदरा विक्रेताओं तथा उपभोक्ताओं को उनकी मांग अनुसार मदिरा उपलब्ध हो पाने में समस्या आती है। इस कारण खुदरा विक्रेताओं की आपूर्ति के कोटा निर्धारण की व्यवस्था को समाप्त करने की मांग रही है। परंतु आपूर्ति में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने तथा सभी उत्पादकों को अपने उत्पादों के विक्रय का समुचित अवसर प्रदान करने के लिए व्यवस्था किया जाना आवश्यक है, साथ ही, उपभोक्ताओं को उनकी मांग अनुसार उच्च गुणवत्ता की मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी आवश्यक है, जिससे अवैध मदिरा को रोका जा सके। इन सब बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए देशी मदिरा की आपूर्ति में आर.एस.जी.एस.एम. द्वारा उत्पादित मदिरा की न्यूनतम मात्रा के कोटे के अतिरिक्त शेष आपूर्ति को सभी के लिए स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया गया है। आर.एस.जी.एस.एम. की मदिरा की न्यूनतम मात्रा की मांग नहीं होने पर अतिरिक्त राशि का भुगतान कर मांग अनुसार मदिरा के उठाव की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार की व्यवस्था राजस्थान निर्मित मदिरा के लिए भी की गई है। साथ ही, छोटी उत्पादक इकाइयों यथा बोटलर्स, जिन्हें Economies of Scale का लाभ नहीं मिल पाता है, को प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने हेतु राज्य से बाहर से ई.एन.ए. क्रय कर राज्य में लाने पर लगने वाली 7/- रूपये प्रति बल्क लीटर की फीस में ई.एन.ए. की एक निश्चित मात्रा तक रियायत देने का निर्णय लिया गया है।
- (v) इसके अतिरिक्त प्रक्रियाओं के सरलीकरण, ऑटोमेशन व प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से भी नीति में प्रावधान किये गये हैं, जिसमें मुख्यतः आबकारी विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले सभी प्रकार के लाइसेंसेज को ऑनलाईन तथा स्वतः स्वीकृत करने का महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है।



उपरोक्त उद्देश्यों तथा बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा, आबकारी एवं मद्य-संयम नीति वर्ष 2024-25 निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

(1) **अवधि :** आगामी आबकारी बन्दोबस्त की अवधि 1 वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2024-2025 (1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक) के लिये होगी तथा अगस्त-सितम्बर माह में होलसेल प्राईस इन्डेक्स तथा राजस्व प्राप्तियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ई.डी.पी./ई.बी.पी., आबकारी ड्यूटी व फीस आदि की समीक्षा की जायेगी। जिसमें मूल्यों में परिवर्तन या यथावत रखने पर निर्णय लिया जायेगा। मूल्यों में परिवर्तन का निर्णय यदि लिया जाता है, तो उसका प्रभाव गारंटी राशि पर नहीं पड़ेगा, परन्तु आगामी वर्ष की गारंटी राशि/न्यूनतम रिजर्व प्राईस के निर्धारण में इसको ध्यान में रखा जायेगा। वर्ष 2024-25 के अनुज्ञाधारियों को पफॉरमेंस के आधार वर्ष 2025-26 के लिये तत्समय निर्धारित शर्तों पर नवीनीकरण का विकल्प भी दिया जा सकेगा।

(2) **मदिरा की खुदरा दुकानों का बन्दोबस्त :**

2.1 राज्य में मदिरा की खुदरा दुकानों की संख्या पूर्व अनुसार 7665 यथावत रखी जाती हैं। ये सभी दुकानें कम्पोजिट श्रेणी की होंगी, जिनमें सभी प्रकार की मदिरा यथा देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL), BIO, BII, हेरिटेज मदिरा, बीयर एवं वाईन की आपूर्ति एवं विक्रय अनुमत होगा।

2.2 मदिरा की खुदरा दुकानों के अनुज्ञापत्र दुकानवार निर्धारित **वार्षिक गारण्टी राशि** पर प्रदत्त किये जायेंगे। मॉडल शॉप, एयरपोर्ट शॉप, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान राज्य बेवरेजेज निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड को अनुमत की जाने वाली रिटेल ऑफ दुकानों का आवंटन वार्षिक लाईसेन्स फीस के आधार पर किया जायेगा।

2.3 वर्ष 2023-24 के मदिरा दुकानों के पात्र अनुज्ञाधारियों को वर्ष 2024-25 के लिये अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण का विकल्प देने का निर्णय लिया गया है।

2.4 वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये अनुज्ञाधारियों द्वारा निर्धारित अवधि में नवीनीकरण का विकल्प प्रस्तुत नहीं करने या अन्य कारणों से नवीनीकरण नहीं होने पर नवीनीकरण से अवशेष मदिरा की खुदरा दुकानों का ऑनलाईन नीलामी तथा आवश्यकता पड़ने पर ई-बिड के माध्यम से बन्दोबस्त किया जायेगा।

2.5 **नवीनीकरण की प्रक्रिया :**

2.5.1 वर्ष 2023-24 के ऐसे अनुज्ञाधारी, जिन्होंने तृतीय त्रैमास तक निर्धारित गारण्टी पूर्ति कर ली हो तथा अन्य कोई देयताएं शेष नहीं हो, को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये अनुज्ञापत्र नवीनीकरण का विकल्प निर्धारित शर्तों पर दिया जाएगा।

2.5.2 नवीनीकरण की प्रक्रिया में वर्ष 2023-24 के लिये निर्धारित वार्षिक गारण्टी राशि को 10 प्रतिशत बढ़ाकर वर्ष 2024-25 के लिये वार्षिक गारण्टी राशि का निर्धारण किया जाएगा। दुकान के एक वर्ष से कम अवधि के लिये वार्षिक गारंटी राशि निर्धारित होने की स्थिति में वर्तमान वार्षिक गारंटी

राशि की पूरे वर्ष के लिये गणना कर उसमें आगामी वर्ष हेतु 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

- 2.5.3 पात्र अनुज्ञाधारियों द्वारा अपने अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण हेतु इस नीति के जारी होने के 15 दिवस की अवधि में ऑनलाईन आवेदन व निम्नलिखित तालिका में दी गई नवीनीकरण फीस तथा बिन्दु संख्या 2.11 के अनुसार निर्धारित धरोहर राशि जमा करायी जायेगी :-

वर्ष 2023-24 की वार्षिक गारण्टी राशि (रूपये)	नवीनीकरण फीस (रूपये)
(1)	(2)
दो करोड़ तक	2 लाख
2 करोड़ से अधिक एवं 4 करोड़ तक	3 लाख
4 करोड़ से अधिक	4 लाख

- 2.5.4 जिन अनुज्ञाधारियों द्वारा निर्धारित अवधि में नवीनीकरण हेतु आवेदन मय फीस व धरोहर राशि जमा करा दी हो, उनके द्वारा बिन्दु संख्या 2.8.11.1 के अनुसार अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि तथा बिन्दु संख्या 2.9 के अनुसार वार्षिक लाईसेन्स फीस की राशि दिनांक 29.02.2024 तक जमा करायी जायेगी।
- 2.5.5 अनुज्ञाधारी द्वारा निर्धारित अवधि में नवीनीकरण फीस व धरोहर राशि के अन्तर की राशि जमा कराने के बाद अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि तथा वार्षिक लाईसेन्स फीस की राशि जमा नहीं कराने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर नवीनीकरण फीस व धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 2.5.6 नवीनीकरण के लिये निर्धारित तिथियों में आवश्यकता होने पर राज्य सरकार द्वारा संशोधन किया जा सकेगा।

2.6 ऑनलाईन नीलामी द्वारा बंदोबस्त की प्रक्रिया :

- 2.6.1 नवीनीकरण से शेष रही मदिरा दुकानों के प्रत्येक जिले में विवेकीकरण एवं पुनर्गठन की कार्यवाही करके आबकारी आयुक्त द्वारा प्रत्येक दुकान हेतु न्यूनतम रिजर्व प्राईस का निर्धारण किया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये बंदोबस्त की कार्यवाही की जायेगी।
- 2.6.2 बन्दोबस्त हेतु ऑनलाईन नीलामी की प्रक्रिया में संबंधित आवेदकों को यथासमय आवश्यक निर्धारित आवेदन राशि का भुगतान कर पंजीकरण कराके ऑनलाईन नीलामी में भाग लिया जाना है।
- 2.6.3 नीलामी प्रक्रिया में न्यूनतम रिजर्व प्राईस पर ऑनलाईन बोली में अधिकतम राशि देने वाले बोलीदाता को सफल आवेदक के रूप में चयन किया जायेगा। दुकानवार नीलामी से प्राप्त अधिकतम बोली सम्बन्धित दुकान के लिये वार्षिक गारण्टी राशि के रूप में निर्धारित की जायेगी।
- 2.6.4 एक व्यक्ति एक जिले में दो दुकानों से अधिक एवं सम्पूर्ण राज्य में पांच दुकानों से अधिक नहीं ले सकेगा। यह शर्त राज्य सरकार के उपक्रमों पर लागू नहीं होगी।

2.6.5 आवेदन शुल्क :

मदिरा की खुदरा दुकानों की ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आवेदन शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

श्रेणी	आवेदन शुल्क
2 करोड़ रुपये तक न्यूनतम रिजर्व प्राईस वाली दुकान	1.00 लाख
2 करोड़ रुपये से अधिक एवं 4 करोड़ रुपये तक न्यूनतम रिजर्व प्राईस वाली दुकान	1.50 लाख
4 करोड़ रुपये से अधिक	2.00 लाख

आवेदन शुल्क प्रत्येक दुकान के लिये पृथक-पृथक देय होगा, जो कि अप्रतिदेय (Non-refundable) होगा।

2.6.6 अमानत राशि (Earnest Money) :

2.6.6.1 ऑनलाईन नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित न्यूनतम रिजर्व प्राईस की 2 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में आवेदन के साथ जमा करायी जानी है। नीलामी के दौरान बिड राशि के अनुसार अतिरिक्त अमानत राशि भी जमा करानी होगी। इस प्रकार Dynamic अमानत राशि का प्रावधान नीलामी की प्रक्रिया में किया जायेगा।

2.6.6.2 अनुज्ञापत्र हेतु चयनित आवेदक द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि को धरोहर राशि पेटे समायोजित किया जा सकेगा। असफल आवेदकों द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि संबंधित आवेदक को लौटा दी जायेगी।

2.6.7 पुनः बंदोबस्त :

ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया में किसी दुकान के पड़त रहने या आवंटित दुकान का अनुज्ञा पत्र निरस्त होने आदि कारणों से पुनः बंदोबस्त आवश्यक होने पर ऑनलाईन नीलामी या ई-बिड की प्रक्रिया अपनाई जा सकेगी।

2.6.8 न्यूनतम रिजर्व प्राईस :

2.6.8.1 वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये न्यूनतम रिजर्व प्राईस का निर्धारण संबंधित दुकान की वर्ष 2023-24 की वार्षिक गारण्टी राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये किया जाएगा। दुकान के वर्ष 2023-24 में पूरे वर्ष संचालित नहीं होने की स्थिति में संचालन अवधि की वार्षिक गारंटी राशि के आधार पर पूरे वर्ष के लिये वार्षिक गारंटी राशि की गणना कर उसमें 10 प्रतिशत वृद्धि करके न्यूनतम रिजर्व प्राईस निर्धारित की जाएगी।

2.6.8.2 विवेकीकरण के माध्यम से गठित नई दुकानों तथा किसी दुकान के पुनः बन्दोबस्त की स्थिति में न्यूनतम रिजर्व प्राईस का निर्धारण संबंधित क्षेत्र, शहर व जिले में गत वर्षों में हुए बंदोबस्त, मदिरा के उठाव, जनसंख्या तथा अन्य आर्थिक पहलुओं व दुकान के संचालन की अवधि के आधार पर युक्तिकरण कर किया जाएगा।

एक वर्ष से कम अवधि के लिये नीलामी की स्थिति में शेष अवधि हेतु न्यूनतम रिजर्व प्राईस का निर्धारण अवधि के आधार पर आनुपातिक रूप से किया जाएगा।

2.6.8.3 न्यूनतम रिजर्व प्राईस में देशी मदिरा (राजस्थान निर्मित मदिरा सहित) की आबकारी शुल्क की राशि तथा कुल ड्यूटी (आबकारी शुल्क एवं अतिरिक्त आबकारी शुल्क) की राशि का उल्लेख किया जाएगा।

2.7 दुकानों एवं गोदाम की अवस्थिति :-

2.7.1 समस्त दुकानों तथा गोदामों के लोकेशन राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में निर्धारित प्रावधानों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रतिबंधित दूरी की पालना सुनिश्चित करते हुए ऑनलाईन स्वीकृत किये जायेंगे। उनके जिओ टैग के कॉर्डिनेट डाटा को आनलाईन फीड करके आस पास के विद्यालय, धार्मिक स्थल, आंगनबाडी तथा अस्पताल आदि को शामिल किया जाकर उनकी स्थिति स्पष्ट अंकित करनी होगी।

2.7.2 वर्ष 2023-24 में मदिरा की दुकान/गोदाम की अवस्थिति इस वर्ष 2024-25 में बंदोबस्त के दौरान पूर्व स्थान के लिये ही अनुज्ञाधारी द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो दुकान की अवस्थिति की स्वीकृति स्वतः ही मानी जायेगी।

2.7.3 मदिरा भण्डारण के लिये राशि रूपये 2 लाख वार्षिक फीस जमा कराने पर प्रत्येक दुकान हेतु एक गोदाम की अनुमति दी जा सकेगी। राशि रूपये 5.00 लाख की वार्षिक फीस पर 1 अतिरिक्त गोदाम भी स्वीकृत कराया जा सकेगा। इसमें शहरी क्षेत्र में अपने विक्रय काउंटर (दुकान) के 100 मीटर परिधि में तथा ग्रामीण क्षेत्र में सुविधानुसार दुकान के निर्धारित क्षेत्र में गोदाम अनुमत किया जा सकेगा, परन्तु दुकान के लिये स्वीकृत गोदाम की अवस्थिति पड़ोस के अन्य समूह के लिए स्वीकृत गोदाम/दुकान से न्यूनतम 1 किलोमीटर की दूरी से कम दूरी पर स्वीकृत नहीं किया जायेगा। शहरी क्षेत्र की दुकान का गोदाम उनकी पड़ोस की गोदाम/दुकान से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी से कम दूरी पर स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।

2.8 वार्षिक गारण्टी राशि :-

2.8.1 ऑनलाईन नीलामी द्वारा प्राप्त अधिकतम बोली या नवीनीकरण की प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक दुकान के लिये वार्षिक गारण्टी राशि का निर्धारण किया जायेगा।

2.8.2 निर्धारित वार्षिक गारण्टी राशि पेटे देशी मदिरा (राजस्थान निर्मित मदिरा-RML सहित), भारत निर्मित विदेशी मदिरा, हेरिटेज मदिरा, बीयर एवं वाईन के मासिक उठाव के लिये जमा कराई गई आबकारी ड्यूटी एवं अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी तथा BIO की फीस का भराव दिया जायेगा।

- 2.8.3 निर्धारित वार्षिक गारण्टी राशि 12 महीनों या शेष महीनों (एक वर्ष से कम अवधि के लिये स्वीकृति की स्थिति में) में बराबर-बराबर बांटी जायेगी एवं तदनुसार प्रतिमाह मदिरा का उठाव करना होगा।
- 2.8.4 वार्षिक गारण्टी राशि में देशी मदिरा (राजस्थान निर्मित मदिरा-RML सहित) की आबकारी ड्यूटी का अनुपात नीलामी के समय न्यूनतम रिजर्व प्राईस में निर्धारित अनुपात के अनुरूप ही रहेगा। अर्थात् नीलामी के समय न्यूनतम रिजर्व प्राईस की कुल राशि में देशी मदिरा (राजस्थान निर्मित मदिरा-RML सहित) की राशि का जो अनुपात है, वही अनुपात निर्धारित वार्षिक गारंटी राशि में देशी मदिरा (राजस्थान निर्मित मदिरा-RML सहित) की गारंटी राशि का रहेगा।
वार्षिक गारंटी राशि में देशी मदिरा की गारंटी राशि के अतिरिक्त शेष गारंटी राशि के पेटे किसी भी प्रकार की मदिरा, वाईन, बीयर आदि का उठाव अनुमत होगा।
- 2.8.5 देशी मदिरा (राजस्थान निर्मित मदिरा-RML सहित) के लिये निर्धारित गारंटी राशि में से न्यूनतम 25 प्रतिशत राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड निर्मित मदिरा का उठाव करना होगा। निर्धारित मात्रा में आर.एस.जी.एस.एम. निर्मित मदिरा का उठाव नहीं करने पर कम उठाई गई मदिरा पेटे 10 रूपये प्रति बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त राशि जमा कराने पर अन्य उत्पादकों द्वारा निर्मित मदिरा का उठाव अनुमत होगा। इस राशि की गणना शेष राशि पेटे 50 यू.पी. देशी मदिरा की मात्रा के आधार पर की जाएगी।
- 2.8.6 देशी मदिरा (राजस्थान निर्मित मदिरा-RML सहित) के लिये निर्धारित गारंटी राशि में से न्यूनतम 25 प्रतिशत राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) का उठाव करना होगा। निर्धारित मात्रा में राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) का उठाव नहीं करने पर कम उठाई गई मदिरा पेटे 10 रूपये प्रति बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त राशि जमा कराने पर राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) के स्थान पर देशी मदिरा का उठाव अनुमत होगा।
- 2.8.7 देशी मदिरा में कम तेजी की 50 यू.पी. व 60 यू.पी. मदिरा को प्राथमिकता से उठाव एवं विक्रय का प्रयास किया जायेगा तथा इसके कम हानिकारक होने के संबंध में मदिरा उपभोक्ताओं को जागरूक किया जायेगा। यदि कम तेजी की मदिरा की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है तो राज्य सरकार द्वारा इसके उठाव हेतु न्यूनतम मात्रा निर्धारित किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।
- 2.8.8 अनुज्ञाधारी द्वारा किसी माह में निर्धारित मासिक गारंटी राशि से अधिक उठाव करने पर उसका समायोजन आगामी माह में मासिक गारंटी राशि पूर्ति हेतु किया जा सकेगा।
- 2.8.9 किसी माह में निर्धारित मासिक गारण्टी राशि या देशी मदिरा की गारंटी राशि से कम मदिरा का उठाव करने पर अनुज्ञाधारी को आगामी माह की 10 तारीख तक कमी की राशि की मदिरा उठाव का अवसर दिया जायेगा।

निर्धारित अवधि में मदिरा का उठाव नहीं करने पर गारण्टी राशि की शेष राशि एवं उस पर 50 प्रतिशत की जुर्माना राशि नकद जमा करानी होगी।

2.8.10 मासिक राशि के कोटे को अन्य अनुज्ञाधारी को स्थानान्तरित करने की व्यवस्था— मासिक राशि की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में एक अनुज्ञाधारी को अपने कोटे के अंश विशेष को अपने समान अन्य अनुज्ञाधारी को स्थानान्तरित करने की अनुमति दी जा सकेगी। इस बाबत बिक्री की शर्तें अंश विशेष को प्राप्त करने वाले अनुज्ञाधारी तथा अंश विशेष को देने वाले अनुज्ञाधारी द्वारा पारस्परिक आधार पर तय की जा सकेगी। स्थानान्तरित मात्रा को देने वाले के कोटे से कम किया जायेगा, परन्तु मासिक राशि में कोई बदलाव किया नहीं माना जायेगा। इस प्रकार के कोटे का आपसी स्थानान्तरण ऑनलाईन स्वतः स्वीकृत किया जाने की व्यवस्था की जायेगी। इस प्रकार के कोटे के स्थानान्तरण हेतु उसी जिले में स्थानान्तरण पर 10 रुपये प्रति बल्क लीटर तथा अन्य जिले के अनुज्ञाधारी को स्थानान्तरण पर 20 रुपये प्रति बल्क लीटर राजकोष में कोटा देने वाले अनुज्ञाधारी द्वारा ट्रांसफर फीस के रूप में जमा कराना होगा।

उक्त स्थानान्तरण कोटे की मात्रा देने वाले अनुज्ञाधारी की वार्षिक गारण्टी राशि के 20 प्रतिशत की मात्रा तक ही अनुमत होगी। साथ ही, कोई भी ऐसी मात्रा प्राप्त करने वाला अनुज्ञाधारी भी अपने वार्षिक गारण्टी राशि के 20 प्रतिशत की मात्रा से अधिक प्राप्त नहीं कर सकेगा। आगामी वर्ष में वार्षिक गारण्टी राशि निर्धारण में इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा।

2.8.11 अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि :

2.8.11.1 अनुज्ञाधारी द्वारा दुकान के लिये निर्धारित वार्षिक गारण्टी राशि की 5 प्रतिशत राशि अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि के रूप में जमा कराना होगा। नवीनीकरण व ऑनलाईन नीलामी द्वारा दुकान के आवंटन की स्थिति में यह राशि निर्धारित तिथि तक जमा करानी होगी। इसके लिये तिथि का निर्धारण नवीनीकरण व नीलामी की शर्तों में किया जायेगा। नवीनीकरण की स्थिति में अनुज्ञाधारी द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु जमा कराई गई अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि का वर्ष 2024-25 की अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि के पेटे समायोजन कराया जा सकेगा।

2.8.11.2 इस 5 प्रतिशत अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि का माह जनवरी से माह मार्च में निर्धारित मासिक गारण्टी पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम हेतु देय आबकारी ड्यूटी एवं अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी में समायोजन किया जा सकेगा।

2.9 वार्षिक लाईसेंस फीस :

2.9.1 वित्तीय वर्ष 2024-25 में मदिरा की खुदरा दुकानों से उनकी वार्षिक गारंटी राशि की 5 प्रतिशत राशि वार्षिक लाईसेंस फीस के रूप में ली

जायेगी। यह राशि नवीनीकरण व नीलामी की शर्तों में निर्धारित तिथि तक राजकोष में जमा करानी होगी।

2.10 बेसिक लाइसेंस फीस :

2.10.1 खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा के लिये आबकारी शुल्क के साथ बेसिक लाइसेंस फीस भी जमा कराई जायेगी।

2.11 धरोहर राशि :

2.11.1 खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा मदिरा दुकान की निर्धारित **वार्षिक गारण्टी राशि** की 8 प्रतिशत राशि, धरोहर राशि के रूप में जमा करायी जायेगी।

2.11.2 वर्ष 2023-24 के अनुज्ञाधारियों द्वारा अपने अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण कराने हेतु उनकी वर्ष 2023-24 के लिये जमा धरोहर राशि को वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित धरोहर राशि पेटे समायोजित कराकर अन्तर राशि जमा करानी होगी।

2.11.3 ऑनलाईन नीलामी द्वारा आवंटित दुकानों के लिये धरोहर राशि नीलामी की शर्तों के अनुसार जमा करानी होगी।

2.12 मॉडल शॉप/एयरपोर्ट शॉप/BIO Bond :


2.12.1 राज्य में मॉडल शॉप/एयरपोर्ट शॉप/BIO Bond की व्यवस्था वर्ष 2022-23 व 2023-24 की आबकारी एवं मद्य-संयम नीति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही यथावत रहेगी।

2.13 राजस्थान पर्यटन विकास निगम को रिटेल ऑफ दुकानों को स्थापित करने की अनुमति वार्षिक लाईसेन्स फीस के आधार पर दी जायेगी। इन दुकानों के लिये मदिरा उठाव की न्यूनतम गारण्टी राशि का प्रावधान नहीं होगा। मदिरा दुकानों के सफल बंदोबस्त हेतु राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड तथा राजस्थान राज्य बेवरेजेज निगम लिमिटेड को भी मदिरा दुकानों का आवंटन वार्षिक लाईसेंस फीस के आधार पर किया जा सकेगा।

(3) देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) :

3.1 वित्तीय वर्ष 2024-25 में केवल ENA से निर्मित 40, 50, 60 यू.पी. की देशी मदिरा तथा 25 यू.पी. ENA निर्मित "राजस्थान निर्मित मदिरा" (RML) का उत्पादन एवं विक्रय किया जाना अनुमत होगा। राजस्थान निर्मित मदिरा हेतु विशिष्ट उल्लेख के अलावा अन्य प्रावधान देशी मदिरा के लगेंगे।

3.2 राज्य में दिनांक 01.04.2023 से शोधित प्रासव (Rectified Spirit) से देशी मदिरा निर्माण को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। दिनांक 31.03.2023 तक उत्पादकों द्वारा शोधित प्रासव से देशी मदिरा का निर्माण किया गया लेकिन इसकी बिक्री नहीं हो पाने से आर.एस.जी.एस.एम. के गोदामों में यह मदिरा अवशेष रही है। इस प्रकार दिनांक 31.03.2023 तक शोधित प्रासव से निर्मित देशी मदिरा के निस्तारण व राजस्व प्राप्ति के दृष्टिगत इसे दिनांक 31.03.2024 तक विक्रय की अनुमति दी जाती है। साथ ही, इस मदिरा पर दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक आर.एस.जी.एस.एम. द्वारा डेमरेज चार्ज किए जाने से भी छूट प्रदान की जाती है।



- 3.3 देशी मदिरा व राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) की आपूर्ति सभी धारिताओं में पेट/ग्लास/एसेप्टिक पैक में अनुमत होगी।
- 3.4 राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. संविदा आधारित भराई व्यवस्था के अन्तर्गत निजी बोटलर्स से भी देशी मदिरा तथा राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) भराई करवा सकेगा।
- 3.5 देशी मदिरा का आयात :- वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य में देशी मदिरा की सप्लाई में कमी की स्थिति में राज्य सरकार राज्य के बाहर से भी देशी मदिरा के आयात की अनुमति प्रदान कर सकेगी।
- 3.6 मदिरा भराई के लिये उपयोग में लाई जाने वाली पेट/ग्लास/एसेप्टिक पैक की गुणवत्ता के संबंध में जारी निर्देशों की पालना उत्पादनकर्ताओं द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।
- 3.7 देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा का थोक निर्गम मूल्य, बोटलिंग फीस व होलसेलर मार्जिन :
- 3.7.1 वर्ष 2023-24 हेतु 40 यू.पी., 50 यू.पी., 60 यू.पी. ई.एन.ए (Extra Neutral Alcohol) आधारित देशी मदिरा एवं 25 यू.पी. आरएमएल के पेट के पव्वों के एक कार्टन का थोक निर्गम मूल्य क्रमशः रुपये 545/-, 508/-, 360/- एवं 630/- तथा 40 यू.पी. देशी मदिरा व 25 यू.पी. आरएमएल के ग्लास के पव्वों के कार्टन का थोक निर्गम मूल्य क्रमशः 605/- व 710/- रुपये निर्धारित है। इसी प्रकार 40 यू.पी., 50 यू.पी., 60 यू.पी. देशी मदिरा व 25 यू.पी. आरएमएल के एसेप्टिक पैक के पव्वों के कार्टन का थोक निर्गम मूल्य क्रमशः रुपये 580/-, 510/-, 360/- एवं 690/- निर्धारित है।
- 3.7.2 वर्ष 2024-25 के लिये 50 यू.पी./60 यू.पी. देशी मदिरा के लिये रुपये 10/-, 40 यू.पी. देशी मदिरा के लिये रुपये 15/- व राजस्थान निर्मित मदिरा के लिये रुपये 20/- पव्वों के प्रति कार्टन निर्गम मूल्य में वृद्धि करते हुए इसका निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र. सं.	मदिरा की किस्म	पव्वों के प्रति कार्टन का निर्गम मूल्य (रुपये में)		
		ग्लास	पेट	एसेप्टिक पैक
देशी मदिरा				
1	40 यू.पी.	620	560	595
2	50 यू.पी.	---	518	520
3	60 यू.पी.	---	370	370
राजस्थान निर्मित मदिरा				
I.	25 यू.पी.	730	650	710

- 3.7.3 थोक निर्गम मूल्य में देशी मदिरा (RML के अलावा) के थोक अनुज्ञाधारी का मार्जिन भी सम्मिलित है जो वर्तमान में अधिकतम 11 प्रतिशत निर्धारित है। वर्ष 2024-25 के लिये होलसेलर मार्जिन को घटाकर अधिकतम 9 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है। इससे देशी मदिरा के

निर्माताओं के लिये 50 यूपी पेट, 40 यूपी पेट व 40 यूपी ग्लास के एक कार्टन पर क्रमशः रूपये 7.85, 8.54 व 9.54 की बचत होगी।

- 3.7.4 अन्य राज्यों से क्रय कर राज्य में ई.एन.ए. लाने पर वर्तमान में 7 रूपये प्रति बल्क लीटर की दर से फीस निर्धारित है। ई.एन.ए. की दरों में हुई वृद्धि तथा राज्य में उपलब्ध मात्रा को ध्यान में रखते हुए देशी मदिरा की खुदरा विक्रय दरों को नियंत्रित रखने के दृष्टिगत देशी मदिरा निर्माण इकाईयों (बोटलिंग प्लांट विद रिडक्शन सेंटर) को प्रति वर्ष प्रति इकाई 3 लाख बल्क लीटर तक ई.एन.ए. अन्य राज्यों से क्रय कर राज्य में लाने के लिये Bringing into fees एक रूपये प्रति बल्क लीटर की रियायती दर निर्धारित की जाती है।
- 3.7.5 मदिरा उत्पादन हेतु प्रयुक्त प्रासव, पात्र एवं अन्य विविध खर्चों के आधार पर पत्तों के कार्टन के किये गये निर्गम मूल्य निर्धारण के अनुरूप ही अर्द्धा एवं बोतल के कार्टन के निर्गम मूल्य का निर्धारण संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार किया जाता है।
- 3.7.6 पूर्व वर्षों के अनुरूप ही 40 यूपी. देशी मदिरा पात्रों के ढक्कन एवं लेबल्स लाल रंग के होंगे तथा लेबल्स पर सुस्पष्ट (Conspicuous) रूप से "स्ट्रॉंग मदिरा" अंकित किया जाना तथा 50 एवं 60 यूपी. देशी मदिरा पात्रों के ढक्कन एवं लेबल्स का नीला रंग रखे जाने का निर्णय यथावत रखा जाता है।

3.8 देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा पर आबकारी ड्यूटी एवं शुल्क :-

- 3.8.1 देशी मदिरा तथा राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) पर आबकारी शुल्क तथा बेसिक लाईसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र. सं.	मदिरा का प्रकार	आबकारी शुल्क प्रति एलपीएल (राशि रूपयों में)	बेसिक लाईसेंस फीस प्रति बल्क लीटर (राशि रूपयों में)
1	देशी मदिरा	185	46
2	राजस्थान निर्मित मदिरा (RML)	200	80

- 3.8.2 बेसिक लाईसेंस फीस की वसूली अनुज्ञाधारियों से आबकारी ड्यूटी के साथ की जावेगी।
- 3.8.3 राजस्थान निर्मित मदिरा पर 100 प्रतिशत तथा देशी मदिरा पर 20 प्रतिशत आबकारी ड्यूटी निर्माता एवं आपूर्तिकर्ताओं द्वारा राजकोष में अग्रिम भुगतान करना होगा एवं रिटेलर्स से वसूली उपरान्त निर्माताओं तथा आपूर्तिकर्ताओं को पुनर्भरण RSGSM/RSBCL द्वारा किया जायेगा।
- 3.8.4 राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) एवं देशी मदिरा हेतु न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य के साथ अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य को भी तय किया जाने का प्रावधान किया जाता है। इस अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य के साथ-साथ न्यूनतम विक्रय मूल्य में भी खुदरा विक्रेता का मार्जिन शामिल किया गया है। उक्त दोनों मूल्यों को लेबल पर बड़े एवं स्पष्ट अक्षरों में



अंकित किया जावेगा। अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक व न्यूनतम विक्रय मूल्य से कम पर बेचान करने पर कड़ी कार्रवाही का प्रावधान रहेगा।

3.8.5 देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) के पब्लों का न्यूनतम एवं अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क्र. सं.	मदिरा का प्रकार	180 एमएल निप्स का न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य (राशि रूपयों में)	180 एमएल निप्स का अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (राशि रूपयों में)
1.	देशी मदिरा 40 यूपी ग्लास पात्र	52	63
2.	देशी मदिरा 40 यूपी पेट पात्र	51	61
3.	देशी मदिरा 40 यूपी एसेप्टिक पैक	52	62
4.	देशी मदिरा 50 यूपी पेट पात्र	45	54
5.	राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) ग्लास पात्र	73	88
6.	राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) पेट पात्र	71	85
7.	राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) एसेप्टिक पैक	72	87

3.8.6 देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा के परमिट फीस की दर को रिटेलर्स के लिये 1 रूपया प्रति बल्क लीटर तथा सभी आपूर्तिकर्ताओं के लिये 1000 रूपये प्रति परमिट यथावत रखा जाता है।

(4) भारत निर्मित विदेशी मदिरा/BII/BIO/Beer/Wine/RTD :

4.1 भारत निर्मित विदेशी मदिरा, BII, BIO, BEER, RTD, वाईन आदि पर आबकारी ड्यूटी/अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी (BIO पर लाईसेन्स फीस) एवं रिटेलर मार्जिन को यथावत रखते हुए निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

(a) IMFL Duty Slab:

एक्स डिस्टिलरी मूल्य (EDP) (रूपये में)	आबकारी शुल्क प्रति एलपीएल (राशि रूपयों में)	अतिरिक्त आबकारी शुल्क (%)	रिटेलर मार्जिन (ईडीपी का प्रतिशत)
770 तक	274	28	112
770 से अधिक 1000 तक	280	29	111
1000 से अधिक 1250 तक	310	36	101
1250 से अधिक 1450 तक	311	40	92
1450 से अधिक 2000 तक	315	41	85

2000 से अधिक 5000 तक	330	49	69
5000 से अधिक 8000 तक	370	49	58
8000 से अधिक 10000 तक	371	49	45
10000 से अधिक	372	49	40

(b) BII Duty Slab:

एक्स डिस्टिलरी मूल्य (EDP) (रुपये में)	आबकारी शुल्क प्रति एलपीएल (राशि रूपयों में)	अतिरिक्त आबकारी शुल्क (%)	रिटेलर मार्जिन (ईडीपी का प्रतिशत)
5000 तक	330	49	69
5000 से अधिक 8000 तक	370	49	58
8000 से अधिक 10000 तक	371	49	45
10000 से अधिक	372	49	40

(c) BIO Duty Slab:

बेसिक प्राईस (रुपये में)	लाईसेन्स फीस (ad-valorem of Basic Price + Import Fee %)	रिटेलर मार्जिन (बेसिक प्राईस का प्रतिशत)
3100 तक	75	54
3100 से अधिक 6000 तक	70 (न्यूनतम रूपये 2325)	52
6000 से अधिक 8000 तक	55 (न्यूनतम रूपये 4200)	47
8000 से अधिक 50000 तक	45 (न्यूनतम रूपये 4400)	47
50000 से अधिक	40 (न्यूनतम रूपये 22500)	47
वाईन	40	BIO की स्लैब के अनुसार

(d) Beer Duty Slab:

एक्स ब्रुवरी मूल्य (EBP) (रुपये में)	आबकारी शुल्क (ad-valorem)	अतिरिक्त आबकारी शुल्क (%)	रिटेलर मार्जिन (ईबीपी का प्रतिशत)
स्ट्रॉंग बीयर (5 प्रतिशत से अधिक स्ट्रेन्थ)			
330 तक	156 प्रतिशत	22	84
330 से अधिक	156 प्रतिशत	11	79
माईल्ड बीयर (5 प्रतिशत तक स्ट्रेन्थ)			
440 तक	156 प्रतिशत	05	79
440 से अधिक	156 प्रतिशत	07	82

(e) भारत में निर्मित वाईन एवं आरटीडी पर आबकारी शुल्क-40 प्रतिशत तथा राजस्थान निर्मित वाईन पर 4 प्रतिशत ad-valorem होगा। साथ ही, आरटीडी पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क 30 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है। भारत निर्मित वाईन तथा राजस्थान निर्मित वाईन पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क नहीं लगेगा, इन पर रिटेलर मार्जिन IMFL Duty Slab बिन्दु संख्या 4.1(a) के अनुसार होगा। RTD पर रिटेलर मार्जिन EDP का 50 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है। हेरिटेज मदिरा भी अतिरिक्त आबकारी शुल्क से मुक्त रहेगी।

4.2 IMFL, BEER, BIO, Wine व BII मदिरा ग्लास, कैन, फूडग्रेड पैट, एसेप्टिक पैक एवं मेटल पैकिंग में उत्पादन एवं विक्रय अनुमत होगा।

4.3 भारत निर्मित विदेशी मदिरा/BII/BIO/Wine/RTD/Beer की ईडीपी/ईबीपी/ईडब्ल्यूपी

4.3.1. भारत निर्मित विदेशी मदिरा/BII/BIO/Wine/RTD/Beer की ईडीपी/ईबीपी/ईडब्ल्यूपी में 20 रूपये या ईडीपी/ईबीपी/ईडब्ल्यूपी का एक प्रतिशत, जो भी अधिक हो, तक की वृद्धि किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। यह वृद्धि उन ब्राण्ड के लिये अनुमत होगी जिनकी ईडीपी/ईबीपी/ईडब्ल्यूपी राजस्थान के निकटवर्ती राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों यथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चण्डीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में घोषित संबंधित ब्राण्ड या उसके समानान्तर ब्राण्ड के लिये घोषित न्यूनतम ईडीपी/ईबीपी/ईडब्ल्यूपी के समतुल्य अथवा उससे कम है। निकटवर्ती राज्यों में यदि किसी ब्राण्ड की ईडीपी/ईबीपी/ईडब्ल्यूपी अनुमोदित नहीं करायी गयी है तब भी लागत में वृद्धि के आधार पर उपर्युक्त वृद्धि अनुमत होगी। राजस्थान में मूल्य अनुमोदन के पश्चात अन्य समीपवर्ती राज्यों में कम ईडीपी/ईबीपी/ईडब्ल्यूपी अनुमोदित कराने पर राज्य में भी इसमें कमी कर समीपवर्ती राज्य में कराई गई न्यूनतम ईडीपी/ईबीपी/ईडब्ल्यूपी के समान की जाएगी।

4.3.2 भारत निर्मित विदेशी मदिरा/BII/BIO/Beer/Wine/RTD ब्राण्ड की ईडीपी/ईबीपी/ईडब्ल्यूपी व मूल्य निर्धारण हेतु उत्पादक/आपूर्तिकर्ता द्वारा संबंधित ब्राण्ड के लिये कोस्ट एकाउन्टेन्ट अथवा कम्पनी सेक्रेटरी द्वारा प्रमाणित कोस्ट शीट संलग्न कर ऑनलाईन प्रस्तुत की जाएगी। ईडीपी/ईबीपी/ईडब्ल्यूपी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इसके समस्त कम्पोनेंट का विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा और समीपवर्ती राज्यों में अनुमोदित ईडीपी/ईबीपी/ईडब्ल्यूपी से संबंधित समस्त विवरणों (कोस्ट कार्ड) की तालिका भी प्रस्तुत की जायेगी।

4.3.3 विभिन्न प्रदेशों में ईडीपी/ईबीपी/ईडब्ल्यूपी में सम्मिलित किये जाने वाले मदों में एकरूपता नहीं है। प्रत्येक प्रदेश में लाईसेंस फीस, बॉटलिंग फीस, आयात फीस, ब्राण्ड पंजीकरण फीस, लेबुल अनुमोदन फीस, शीरा पर प्रशासनिक फीस, ई.एन.ए. पर वैट, परमिट फीस, स्पेशल फीस आदि भिन्न

है। अतः ईडीपी/ईबीपी/ईडब्ल्यूपी का समीपवर्ती राज्यों से मिलान करते समय इनका संज्ञान लिया जायेगा।

4.3.4 उक्तानुसार समस्त सूचनाओं के साथ उत्पादक/आपूर्तिकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने पर ईडीपी/ईबीपी/ईडब्ल्यूपी के ऑटो अप्रूवल का प्रावधान किया जाता है। अनुमोदन पश्चात् परीक्षण किये जाने पर किन्हीं तथ्यों के गलत पाये जाने पर स्वीकृति को निरस्त करने व जुर्माना लगाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

4.4 बोटलिंग अनुज्ञापन फीस –

4.4.1 भानिविम पर बोटलिंग फीस 4 रुपये प्रति बल्क लीटर व Beer पर 3 रुपये प्रति बल्क लीटर तथा देशी मदिरा व आर.एम.एल. पर 5 रुपये प्रति बल्क लीटर पूर्वानुसार यथावत निर्धारित की जाती है।

4.4.2 बीयर निर्माण इकाईयों को विगत 3 वित्तीय वर्षों के औसत वार्षिक उत्पादन अथवा वर्ष 2023-24 के उत्पादन, जो भी अधिक हो, से अधिक उत्पादित एवं राजस्थान में विक्रय के लिये आरएसबीसीएल को आपूर्ति की गई बीयर पर बोटलिंग फीस में निम्नानुसार छूट दी जाएगी:-

क्र. सं.	उपरोक्तानुसार आरएसबीसीएल को आपूर्ति की गई बीयर की अतिरिक्त मात्रा	बोटलिंग फीस में छूट (प्रति बल्क लीटर)
1.	115 प्रतिशत तक	शून्य
2.	115 प्रतिशत से अधिक तथा 125 प्रतिशत तक की मात्रा	1 रुपया
3.	125 प्रतिशत से अधिक मात्रा	2 रुपये

उदाहरण के लिए-किसी बीयर निर्माता फर्म द्वारा वर्ष 2024-25 में गत 3 वित्तीय वर्षों के औसत वार्षिक उत्पादन अथवा वर्ष 2023-24 के उत्पादन, जो भी अधिक हो, से 130 प्रतिशत बीयर उत्पादित कर आरएसबीसीएल को राज्य में विक्रय हेतु आपूर्ति की जाती है तो उस फर्म को 115 प्रतिशत से 125 प्रतिशत तक अधिक आपूर्ति की गई बीयर की मात्रा पर 1 रुपया प्रति बल्क लीटर तथा 125 प्रतिशत से 130 प्रतिशत तक अधिक आपूर्ति की मात्रा पर 2 रुपये प्रति बल्क लीटर की छूट देय होगी।

4.5 **माईक्रो ब्रुवरी** –राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं रोजगार सृजन हेतु होटल, रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार अनुज्ञाधारियों को माईक्रो ब्रुवरी स्थापना एवं संचालन हेतु इसकी वार्षिक लाईसेन्स फीस 5 लाख रुपये एवं आबकारी ड्यूटी 40 रुपये प्रति बल्क लीटर दैनिक उत्पादन क्षमता पर निर्धारित की जाती है।

4.6 भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL) के अंतर्गत "रम" श्रेणी की मदिरा के निर्माण हेतु मोलासिस आधारित ई.एन.ए. अन्य राज्यों से आयात किया जाना अनुमत होगा।

- 4.7 जिन बीयर आपूर्तिकर्ताओं का विगत वर्ष में राज्य की कुल बीयर विक्रय में 10 प्रतिशत से कम हिस्सा रहा है, उन्हें चालू वित्तीय वर्ष में उनकी गत वर्ष की बीयर विक्रय में 15 प्रतिशत की वृद्धि कर, राज्य में विक्रय हेतु स्टॉक सुरक्षित रखते हुए इससे अधिक उत्पादित बीयर का निर्यात अनुमत होगा।

(5) निर्माण इकाइयों की लाईसेंस फीस का निर्धारण :-

- 5.1 निर्माण इकाइयों की वार्षिक लाईसेन्स फीस को यथावत रखते हुए निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

किस्म अनुज्ञापत्र	उत्पादन क्षमता (किलो लीटर में)	वार्षिक लाईसेन्स फीस (लाख रुपये में)
डिस्टिलरी (प्रतिदिन आंकड़े)	30 तक	45.00
	30 से अधिक एवं 50 तक	55.00
	50 से अधिक एवं 75 तक	70.00
	75 से अधिक	75.00
ब्रुवरी (प्रतिवर्ष आंकड़े हजार किलो लीटर में)	30 तक	40.00
	30 से अधिक एवं 50 तक	45.00
	50 से अधिक एवं 75 तक	65.00
	75 से अधिक	75.00
बोटलिंग प्लांट	देशी मदिरा भराई	4.00
	भानिवि मदिरा भराई	12.00
	वाईनरी भराई	0.50
हेरीटेज प्लांट	-	8.00
वाईनरी	-	1.00

- 5.2 वर्तमान में निर्माण इकाइयों द्वारा 3 वर्षों तक लाईसेंस का नवीनीकरण नहीं कराने पर इस अवधि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आगामी वर्ष में पूर्ण लाईसेंस फीस जमा कराकर लाईसेंस नवीनीकरण कराने का प्रावधान है। इस 3 वर्ष की अवधि को कम कर 1 वर्ष किया जाता है। अर्थात् किसी वर्ष में लाईसेंस नवीनीकरण नहीं करा पाने पर उस वर्ष की 25 प्रतिशत राशि तथा आगामी वर्ष की पूर्ण लाईसेंस फीस जमा कराकर लाईसेंस का नवीनीकरण कराया जा सकेगा।
- 5.3 राज्य में फलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने तथा फल उत्पादक कृषकों को उचित मूल्य उपलब्ध कराने की दृष्टि से माइक्रो वाईनरी की स्थापना अनुमत की जाती है।
- 5.4 वाईन उत्पादन के इच्छुक उद्यमियों द्वारा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की वाईनरी में अनुबंध के आधार पर अपने ब्राण्ड की वाईन का निर्माण एवं विक्रय किया जा सकेगा। इसके लिये उनकी स्वयं की वाईनरी होने संबंधी बाध्यता से मुक्त रखा जायेगा।
- 5.5 आबकारी विभाग द्वारा राजस्थान में नई डिस्टिलरीज, ब्रेवरीज, बोटलिंग प्लांट स्थापित करने हेतु नीति निर्धारित की हुई है जिसमें भू-जल का उपयोग करने वाली इकाइयों को केवल भू-जल सुरक्षित क्षेत्र में ही स्थापित करने का प्रावधान

है। इस नीति में वर्तमान में संचालित इकाई के स्थानान्तरण के संबंध में प्रावधान नहीं है। वर्तमान उत्पादन को निरन्तर रखने के दृष्टिगत यदि कोई उद्यमी अपने बोटलिंग प्लांट, जो भू-जल सुरक्षित क्षेत्र में नहीं है, उसी क्षेत्र में अपनी इकाई को स्थानान्तरित करना चाहता है और नवीन स्थान पर उसने अपने समस्त निर्मित भाग का रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर निर्मित कर ग्राउंड वॉटर हार्वेस्टिंग से जोड़ रखा है, तथा अनिर्मित भाग के भी न्यूनतम 1 तिहाई भाग को वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर से जोड़ रखा है, तो उसे वर्षा जल संरक्षण द्वारा पर्याप्त जल पुनर्भरण किए जाने की शर्त पर स्थानान्तरण की स्वीकृति दी जा सकेगी।

(6) हेरीटेज मदिरा :-

- 6.1 हेरीटेज मदिरा के उत्पादों में विविधता लाने एवं उत्पाद को अन्य राज्यों तथा विदेशों में निर्यात की सम्भावना के दृष्टिगत वर्ष 2021-22 की आबकारी एवं मद्यसंयम नीति में हेरीटेज मदिरा के लिये RSGSM द्वारा अन्य राज्यों एवं विदेश में वितरण एवं मार्केटिंग हेतु फ्रेन्चाइजी नियुक्त करने हेतु RSGSM को अधिकृत किये जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। RSGSM द्वारा यह कार्यवाही वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6.2 राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की हेरिटेज डिस्टिलरी में निजी उद्यमियों द्वारा अपनी हेरिटेज मदिरा का निर्माण एवं विक्रय अनुमत होगा। इसके लिये उनकी स्वयं की डिस्टिलरी होने संबंधी बाध्यता से मुक्त रखा जायेगा।

(7) रिटेल ऑन (Retail-on) : होटल/क्लब/रेस्टोरेण्ट बार :-

- 7.1 सभी श्रेणी के होटल बार अनुज्ञापत्रों की प्रारंभिक लाईसेन्स फीस को निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क्र. सं.	श्रेणी	प्रारंभिक/लाईसेंस फीस (रु. लाख में)		
1	2	3		
1.	लकजरी होटल/ट्रेन:			
	(i) पाँच सितारा होटल		16.00	
	(ii) चार सितारा होटल		11.00	
	(iii) तीन सितारा होटल		8.50	
	(iv) लकजरी ट्रेन		8.50	
2.	हेरिटेज होटल :	10 कमरे तक	11 से 25 कमरे तक	25 से अधिक कमरे
	(i) जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, माउंट आबू एवं जैसलमेर के शहरीकरण योग्य क्षेत्र के भीतर और कुंभलगढ किले की 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित	2.00	3.50	4.00
	(ii) अन्य संभाग/जिल्ला मुख्यालय/भिवाड़ी के शहरीकरण योग्य क्षेत्र, रणकपुर मंदिर तथा रणधम्भौर राष्ट्रीय उद्यान की 5 किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में स्थित	1.00	2.50	3.50

	(iii)	बिंदु संख्या 2(i) और 2(ii) में शामिल क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिये	0.50	1.25	1.75
3.	अन्य होटल:		50 कमरे तक	51 से 100 कमरे तक	100 से अधिक कमरे
	(i)	जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एवं माउंट आबू के शहरीकरण योग्य क्षेत्र के भीतर	8.00	10.00	15.00
	(ii)	अन्य संभाग/जिला मुख्यालयों/भिवाड़ी के शहरीकरण योग्य क्षेत्र, रणकपुर मंदिर तथा रणधम्मौर राष्ट्रीय उद्यान की 5 किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में स्थित	5.00	7.50	9.50
	(iii)	बिंदु संख्या 3(i) और 3(ii) में शामिल क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिये	3.00	3.50	4.00
4.	सिविल क्लब बार:				
	(i)	जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में	2.00		
	(ii)	अन्य स्थान	1.50		
बिन्दु संख्या 4(i) और 4(ii) में उल्लेखित सिविल क्लब बार हेतु सरकारी कर्मचारी या समाचार मीडिया कर्मियों के लिये फीस 50 प्रतिशत होगी।					
5.	कॉमर्शियल क्लब बार:				
	(i)	जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में	6.00		
	(ii)	अन्य स्थान	4.00		

स्पष्टीकरण: हेरिटेज होटल श्रेणी के कमरों की गिनती में नवनिर्मित कमरों तथा पुराने पारम्परिक कमरों की संख्या शामिल है।

7.2 रेस्टोरेंट बार: सभी श्रेणी के रेस्टोरेंट बार अनुज्ञापत्रों की प्रारम्भिक/लाइसेन्स फीस को निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

क्र. सं.	रेस्टोरेंट की श्रेणी	प्रारम्भिक/लाइसेन्स फीस (रु. लाख में)
1	2	3
1.	वे रेस्टोरेंट जो इन स्थानों पर और इनकी नगरीकरण (urbanisable) योग्य सीमा में स्थित हो-	
	(a) जयपुर मुख्यालय	8.00
	(b) जोधपुर मुख्यालय	7.00
	(c) अन्य संभाग मुख्यालय/अन्य जिला मुख्यालय/भिवाड़ी/माउण्ट आबू के शहरीकरण (urbanisable) योग्य सीमा तथा कुम्भलगढ़ किले के 10 किलोमीटर परिधीय क्षेत्र।	5.00
2.	अन्य रेस्टोरेंट जो उपरोक्त (a) से (c) स्थानों में शामिल नहीं।	3.00

- 7.3 होटल/क्लब/रेस्टोरेंट बार अनुज्ञाधारियों द्वारा उनकी वार्षिक लाईसेंस फीस के 3 गुणा से अधिक राशि की आबकारी ड्यूटी/अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी की मदिरा, बीयर, वाइन आदि का उठाव करने पर उन्हें इस अतिरिक्त उठाव के पेटे आगामी वर्ष की वार्षिक लाईसेंस फीस में छूट दी जा सकेगी। वार्षिक लाईसेंस फीस में छूट की गणना हेतु अनुज्ञाधारी द्वारा उसकी वार्षिक लाईसेंस फीस की 3 गुणा राशि से जितने प्रतिशत अधिक राशि आबकारी ड्यूटी/अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी के रूप में जमा कराई गई है, उतने प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी, परन्तु वार्षिक लाईसेंस फीस में अधिकतम 50 प्रतिशत तक की ही छूट अनुमत होगी।
- 7.4 जैसलमेर, माउंट आबू, रणकपुर, जवाई, सवाई माधोपुर, कुम्भलगढ, पुष्कर इत्यादि पर्यटक स्थलों में सीजनल/वार्षिक बार लाईसेंस Swiss tent जैसी अस्थायी संरचना में संचालित करने की व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।
- 7.5 बार अनुज्ञापत्र धारी के लिए वित्तीय वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन कर नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा अन्यथा आगामी तीस दिन के भीतर अपना अनुज्ञापत्र विभाग को समर्पित करना होगा। किसी भी अनुज्ञाधारी द्वारा अपना अनुज्ञापत्र समर्पित नहीं करने पर उसे भविष्य में कभी नवीनीकरण कराने पर बीच की अवधि की 25 प्रतिशत अनुज्ञा फीस देनी होगी। समय पर समर्पित कराये गये अनुज्ञाधारी द्वारा नवीन अनुज्ञापत्र की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नियमानुसार नया अनुज्ञापत्र जारी कराया जा सकेगा।
- 7.6 होटल बार/रेस्टोरेंट बार अनुज्ञाधारी, जिनके विरुद्ध वित्तीय वर्ष में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हो तथा अनुज्ञापत्रों की शर्तों के उल्लंघन का कोई प्रकरण लम्बित नहीं हो, को नवीनीकरण राशि जमा कराये जाने पर स्वतः नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
- 7.7 होटल/रेस्टोरेंट के विरुद्ध आबकारी नियमों के अन्तर्गत तीसरी बार आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर उसे बार अनुज्ञापत्र के लिये अपात्र माना जाएगा।
- 7.8 बार के नये लाईसेंस के लिये प्रारंभिक लाईसेंस फीस की 10 प्रतिशत राशि जमा कराकर ऑनलाईन आवेदन सभी आवश्यक दस्तावेजों तथा Self Disclaimer के साथ किया जायेगा तथा स्वतः अनुमोदन की व्यवस्था की जायेगी।
- 7.9 नए बार लाईसेंस की प्रारंभिक फीस का निर्धारण त्रैमासिक होगा अर्थात् वार्षिक फीस को 4 बराबर भागों में विभाजित कर त्रैमासिक फीस निर्धारित होगी तथा वित्तीय वर्ष के जिस त्रैमास में बार लाईसेंस के लिए आवेदन किया गया है, उस त्रैमास व वित्तीय वर्ष में उसके बाद के शेष त्रैमासों की प्रारंभिक फीस का भुगतान लाईसेंसधारी द्वारा किया जायेगा।
- 7.10 ऑफेजिनल बार लाईसेंस एवं रेजीडेन्स ऑफेजिनल लाईसेंस को पूर्णतः ऑनलाईन एवं ऑटोमैटेड जारी करने की व्यवस्था को यथावत् रखा जाएगा, परन्तु इस व्यवस्था को सुचारु रखने हेतु कम से कम 1 दिन पहले लाईसेंस लेना अनिवार्य किया जाता है।

ऑकेजनल लाईसेंस की लाईसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र. सं.	लाईसेंस का प्रकार	पंजीकरण फीस वार्षिक (रूपये में)	प्रतिदिन लाईसेंस फीस (रूपये में)
1.	रजिस्टर्ड कॉमर्शियल स्थान/ होटल बार अनुज्ञाधारी	20000	12000
2.	निजी निवास पर	-	2000

(8) भाग :-

8.1 समूहों की संख्या -

वर्ष 2023-24 में भाग दुकानों के 30 समूह हैं। इसी अनुरूप वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये 30 भाग समूहों में प्रत्येक भाग समूह में वित्तीय वर्ष 2023-24 में वास्तविक रूप से संचालित हो रही भाग की खुदरा दुकानों की संख्या के समान ही उस भाग समूह विशेष में सम्मिलित दुकानों की संख्या होगी। आवश्यक होने पर आबकारी आयुक्त की स्वीकृति से दुकानों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकेगी।

8.2 बन्दोबस्त प्रकिया -

8.2.1 भाग के वर्ष 2023-24 के अनुज्ञाधारियों को वर्ष 2024-25 के लिये अपने अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण का विकल्प दिया जायेगा। नवीनीकरण के लिए वर्ष 2023-24 की अनुज्ञाराशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए वर्ष 2024-25 की अनुज्ञाराशि निर्धारित की जायेगी। साथ ही, वर्ष 2023-24 की अनुज्ञाराशि का 1 प्रतिशत बतौर नवीनीकरण शुल्क लिया जायेगा।

8.2.2 नवीनीकरण से शेष रहे भाग समूहों का बन्दोबस्त निविदायें आमंत्रित कर किया जायेगा।

8.3 आरक्षित राशि का निर्धारण -निविदाओं के माध्यम से भाग समूहों के बन्दोबस्त हेतु वर्ष 2023-24 हेतु निर्धारित अनुज्ञा राशि में 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर वर्ष 2024-25 के लिये आरक्षित राशि निर्धारित की जायेगी।

8.4 भाग समूहों के बन्दोबस्त के सम्बन्ध में अन्य प्रावधान पूर्व वर्षों की भांति यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

8.5 भाग के रिटेल वेण्डर को प्रत्येक माह की अगली 15 तारीख तक संबंधित आबकारी निरीक्षक को मासिक रिपोर्ट (भाग की प्राप्ति-बिक्री एवं बैलेंस) प्रेषित करना आवश्यक होगा।

8.6 वर्तमान में भाग के थोक परिवहन पर कोई परमिट फीस लागू नहीं है। वर्ष 2024-25 से भाग के थोक परिवहन पर 1 रूपया प्रति किलो की दर से परमिट फीस ली जायेगी।

(9) विभिन्न प्रक्रियाओं का सरलीकरण :-

- 9.1 विगत वर्षों में आबकारी विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के लाइसेंस एवं परमिट संबंधित पक्षकारों को ऑनलाईन जारी करने तथा निर्धारित समयावधि में जारी न होने पर उसकी स्वतः स्वीकृति (Deemed Approval) मानी जाने संबंधी प्रक्रियाओं के सरलीकरण का कार्य किया गया है। इस कार्य को वर्ष 2024-25 में जारी रखते हुए सभी प्रकार के लाइसेंस व उनके नवीनीकरण की शक्तियां जिला स्तर के अधिकारियों को हस्तांतरित करते हुए स्वतः स्वीकृत की व्यवस्था की जाएगी।
- 9.2 खुदरा विक्रेताओं द्वारा मदिरा/बीयर आदि की ऑनलाईन डिमांड प्रस्तुत करने तथा इसकी आपूर्ति हेतु होलसेलर डिपो के साथ-साथ निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं के होलसेल वेण्ड से सीधे आपूर्ति दिये जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। साथ ही, आरएसजीएसएम/आरएसबीसीएल द्वारा खुदरा विक्रेताओं को मदिरा के परिवहन हेतु परिवहन वाहनों को पंजीकृत करने की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
- 9.3 अवैध मदिरा की रोकथाम हेतु लाइसेंसधारियों के परिसर के निरीक्षण की रेण्डमाइज्ड प्रशासनिक व्यवस्था की जाएगी।

(10) स्काडा (SCADA)/(IoT), ट्रेक एवं ट्रेस प्रणाली :-

राज्य में स्काडा (SCADA)/(IoT), ट्रेक एवं ट्रेस प्रणाली लागू की गई है। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसे पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा।

- (11) आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2024-25 का क्रियान्वयन एवं प्रभावी दिनांक 1 अप्रैल, 2024 से होगा। परन्तु, आबकारी बन्दोबस्त में लगने वाले समय एवं उक्त नीति के अन्तर्गत जारी होने वाले विभिन्न अनुज्ञापत्रों की फीस सम्बन्धित आबकारी नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 से पूर्व राजकोष में जमा करायी जानी आवश्यक होती है, अतः तदनुसार इसमें कार्यवाही दिनांक 1 अप्रैल, 2024 से पूर्व सम्पादित होगी।
- (12) आबकारी बन्दोबस्त के अन्तर्गत आवंटित की जाने वाली दुकानों के अनुज्ञापत्र राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/स्थानीय निकायों/अन्य किसी भी राजकीय अथवा अर्द्धराजकीय संस्थान में सेवारत व्यक्तियों/जन सेवकों को राजकीय अधिकारिता के अलावा व्यक्तिगत क्षमता में जारी नहीं किया जायेगा।
- (13) रिटेल लाइसेन्स की शर्तों के उल्लंघन पर राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 58सी के तहत अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय करने पर तथा निर्धारित समय से अतिरिक्त समय पर दर्ज होने वाले अभियोगों में अनुज्ञापत्र निलम्बन/निरस्तीकरण किया जाने का प्रावधान किया जाता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त अनुज्ञापत्र की अन्य शर्तों के उल्लंघन करने पर अनुज्ञाधारी को सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(14) मद्य संयम के सम्बन्ध में नीतिगत निर्देश :

- (i) दुकानें खोलने का समय : राज्य में मदिरा की अनुज्ञापत्र प्राप्त रिटेल ऑफ (Retail-off) दुकानें खुलने (10.00 बजे प्रातः) व बन्द (रात्रि 8.00 बजे) होने के समय की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जायेगी। एयरपोर्ट शॉप के संचालन (खुलने व बंद होने) का समय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार होगा।
- (ii) मदिरा उपभोग प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों पर कार्यवाही: मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थों के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों आदि के विरुद्ध प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। मदिरा/बीयर पीने के लिये विशेषकर युवाओं को आकर्षित/लालायित करने हेतु लगाये गये प्रचार विज्ञापनों/बोर्ड आदि को हटाया जायेगा।
- (iii) मदिरा पात्रों पर सुस्पष्ट चेतावनी का अंकन : मदिरा के बोतल, अर्द्धा एवं पक्वा पर चिपकाये जाने वाले लेबल पर आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित फोन्ट साईज में "मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है" की सुस्पष्ट वैधानिक चेतावनी का उल्लेख किया जायेगा।
- (iv) अवयस्क व्यक्तियों को नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक के प्रयास: 18 वर्ष से कम आयु के युवा वर्ग को नशीले पदार्थों की बिक्री न होने देने के लिये प्रयास किये जायेंगे।
- (v) दुकानों पर मूल्य सूची एवं मदिरा उपभोग के दुष्प्रभाव की चेतावनी: दुकान के बाहर सुस्पष्ट रूप से मदिरा की अद्यतन मूल्य सूची एवं मदिरा उपभोग के दुष्प्रभाव की चेतावनी को प्रदर्शित करना अनिवार्य किया जायेगा।
- (vi) दुकानों पर निर्धारित सूचना के अलावा विज्ञापन प्रदर्शित करने पर रोक: दुकानों पर अनुज्ञाधारी का नाम, लाइसेन्स नम्बर, अवधि व मूल्य सूची के अलावा अन्य किसी प्रकार के विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (vii) नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार:
 - नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में आमजन को जानकारी दिये जाने हेतु एवं जागरूकता लाने हेतु आई.ई.सी. गतिविधियां संचालित की जायेगी, जिसमें मुख्यतः दूरदर्शन, समाचार पत्रों एवं सार्वजनिक स्थानों पर बोर्ड लगाकर नशे के दुष्प्रभावों के बारे में प्रचार-प्रसार किया जायेगा। इस हेतु शराब सेवन से होने वाली हानियों/दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में जन सामान्य को जागरूक किये जाने हेतु प्रभावी अभियान चलाया जायेगा
 - राज्य में नशा मुक्ति केन्द्रों का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से किया जावेगा। राज्य में नशे की लत एवं इससे मुक्त होने की स्थिति का प्रतिष्ठित संस्थान से अध्ययन भी कराया जायेगा।
 - हथकढ़ शराब के व्यवसाय में लिप्त परिवारों के पुनर्वास हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित नवजीवन योजना के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

- इस हेतु राज्य को प्राप्त होने वाले आबकारी राजस्व का 0.1 प्रतिशत भाग (न्यूनतम 50.00 करोड़ रुपये) आरक्षित कर उपरोक्तानुसार गतिविधियां संचालित की जायेगी। आवश्यकतानुसार उक्त आरक्षित राशि का उपयोग मद्यसंयम प्रयोजनार्थ चिकित्सकीय/जॉच उपकरणों पर भी किया जा सकेगा।

(viii) सार्वजनिक स्थलों पर मद्य सेवन पर जुर्माना: सार्वजनिक स्थलों पर मद्य सेवन किये हुये अथवा करते हुये पाये जाने पर राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2013 में जुर्माने संबंधी प्रावधान को बढ़ाया गया है। संशोधित प्रावधान के अनुसार उल्लंघनकर्ताओं पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(ix) समीपवर्ती राज्यों की सीमाओं से राजस्थान राज्य में अवैध रूप से आने वाले मदिरा पर प्रभावी नियंत्रण हेतु वर्ष भर के लिये निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रख कर कार्य योजना बनाई जाकर लागू की जायेगी:-


- (a) सीमावर्ती जिलों की पुलिस के साथ समन्वय करते हुये संयुक्त जांच दलों का गठन किया जायेगा।
- (b) इस तरह की गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों की मुखबिरी किये जाने हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ12(40)वित्त/कर/2010 पार्ट-45 दिनांक 20.07.2021 द्वारा जारी की गयी मुखबिर प्रोत्साहन योजना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- (c) 24 घण्टे निगरानी रखे जाने की दृष्टि से निगरानी दलों को वाहन एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं।
- (d) सीमावर्ती जिलों में इस कार्यवाही का प्रभावी बनाये रखने के लिये सम्भाग स्तर पर सम्भागीय आयुक्त की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जायेगी। इसमें कमेटी में आबकारी विभाग, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी सम्मिलित रहेंगे।
- (e) निकटवर्ती राज्यों की नीतियों, जिनके कारण राजस्थान में शराब की तस्करी को बढ़ावा मिलता है, के सम्बन्ध में राज्य सरकार के स्तर पर संबंधित राज्य की सरकार के साथ संवाद स्थापित कर शराब की तस्करी पर नियंत्रण हेतु प्रयास किये जायेंगे।

(15) शुष्क दिवस :

वर्तमान में निर्धारित 5 शुष्क दिवस गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी की पुण्य तिथि 30 जनवरी, महावीर जयंती, स्वाधीनता दिवस एवं गांधी जयंती को वित्तीय वर्ष 2024-25 में यथावत रखा जायेगा।

(16) अवैध शराब के सेवन के परिणामस्वरूप होने वाली दुखान्तिकाओं के लिये उत्तरदायित्व एवं प्रबोधन :-

16.1 आबकारी निरोधक दल का जिला स्तर पर जिला आबकारी अधिकारी को नियंत्रण अधिकारी बनाया जायेगा।



16.2 शराब दुखान्तिका की घटना की गम्भीर प्रकृति को देखते हुये निम्न अधिकारियों /कर्मचारियों को प्रथमदृष्ट्या घटना के लिये उत्तरदायी माना जाकर तत्काल निलम्बित करते हुये, समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

- (i) संबंधित जिला का जिला आबकारी अधिकारी
- (ii) आबकारी निरोधक दल का जिला स्तरीय अधिकारी यथा-सहायक आबकारी अधिकारी/उपनिदेशक निरोधक दल।
- (iii) संबंधित क्षेत्र का आबकारी निरीक्षक।
- (iv) संबंधित क्षेत्र के आबकारी थाने का प्रहराधिकारी/सहायक निदेशक।
- (v) संबंधित क्षेत्र के आबकारी थाने का बीट कॉस्टेबल।
- (vi) संबंधित क्षेत्र के जिला पुलिस का उप अधीक्षक पुलिस।
- (vii) संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने का थानाधिकारी।
- (viii) संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने का बीट कॉस्टेबल।

(17) आबकारी विभाग की प्रशासनिक प्राथमिकतायें :

- (i) पड़ोसी राज्यों विशेषतः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से आने वाली अवैध मदिरा को रोकना एवं प्रभावी कार्यवाही किया जाना।
- (ii) आबकारी निरोधक दल हथकड़ व अवैध मदिरा को रोकने के लिये कार्य करेंगे। मदिरा दुकानों पर उनका कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा।

(18) आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2024-25 में किये गये बदलाव जिसका प्रभाव राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 या आबकारी से संबंधित अन्य विधियों, अधिनियमों, नियमों तथा उप नियमों तक है, उनका संबंधित विधियों/नियमों/उप नियमों में संशोधन कर अधिसूचित किया जाकर गजट में प्रकाशन किया जायेगा। इन निर्देशों को लागू किये जाने हेतु संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

(19) आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2024-25 के क्रियान्वयन संबंधी प्रशासनिक/वित्तीय प्रकरणों पर आने वाली समस्याओं के निदान तथा आवश्यकता अनुसार प्रावधानों में संशोधन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अनुमोदन से किया जा सकेगा।

आबकारी आयुक्त द्वारा आगामी बंदोबस्त यथासम्भव दिनांक 31 मार्च, 2024 तक पूर्ण कर राज्य सरकार को अवगत कराया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(क.के. पाठक)

शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान।
5. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान।
6. आबकारी आयुक्त, उदयपुर को नीति में सम्मिलित निर्देशों को लागू किये जाने हेतु अधिनियम/नियम/आदेश में संशोधन अथवा नवीन निर्देश/आदेश/अधिसूचना जारी किया जाना अपेक्षित होने पर उन अधिसूचनाओं/आदेशों के प्रारूप शीघ्र प्रेषित करने के निर्देश के साथ।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
8. समस्त संभागीय पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान।
9. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को नीति के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
10. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
11. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
12. समस्त अतिरिक्त आयुक्त जोन, आबकारी विभाग, राजस्थान।
13. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, राजस्थान।
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय जयपुर को राजकीय गजट में प्रकाशन हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।

W. H. S.


संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (आबकारी) विभाग

देशी मदिरा व राजस्थान निर्मित मदिरा की बोतल (750एम.एल.) का थोक निर्गम मूल्य, न्यूनतम विक्रय मूल्य तथा अधिकतम विक्रय मूल्य वर्ष 2024-25

(राशि रूपये में)

क्र. सं.	मदिरा की किस्म	बोतल के प्रति कार्टन का निर्गम मूल्य	बोतल (750एम.एल.) का न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य	बोतल (750एम.एल.) का अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य
1.	देशी मदिरा 40 यू.पी. ग्लास पात्र	600	212	254
2.	देशी मदिरा 50 यू.पी. ग्लास पात्र	543	187	225
3.	देशी मदिरा 5 यू.पी. के.के. ग्लास पात्र	3180	560	672
4.	राजस्थान निर्मित मदिरा ग्लास पात्र	710	297	356

नोट:- देशी मदिरा 5 यू.पी. के.के. ग्लास पात्र के पब्लों (180 एम.एल.) के 1 कार्टन का निर्गम मूल्य 4220 रूपये, एक पब्ले का न्यूनतम खुदरा मूल्य 167 रूपये तथा अधिकतम खुदरा मूल्य 200 रूपये निर्धारित किया जाता है।


संयुक्त शासन सचिव
वित्त (आबकारी) विभाग